न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 ।

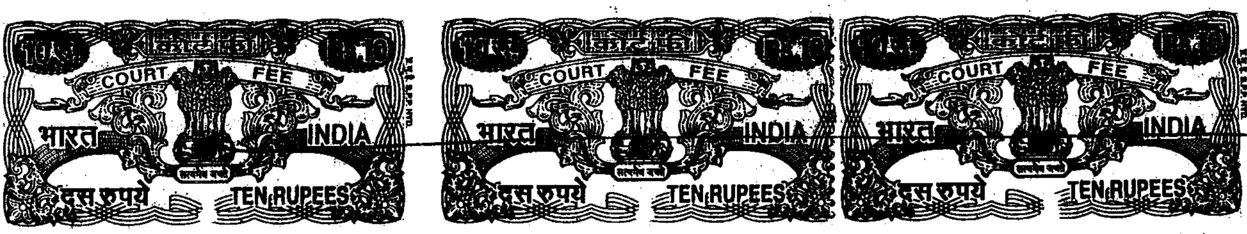

R 5322-II/16

Rs 30/-

1- मुनिराज साहू पिता श्री कालू प्रसाद साहू उम्र 45 साल पेशा खेती
निवासी ग्राम गोंदरी तहसील ~~[illegible]~~ नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

--------- निगरानी कर्ता ।

बनाम

शासन म0प्र0 --------- गैर निगरानी कर्ता

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] द्वारा पेश किया गया 15-7-16

[illegible] प्रथम कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर रीवा
प्रकरण क्रमांक 93/2 स्वमेव निगरानी/2015-1
पारित आदेश दिनांक 17-06-16 ·

स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0
राजस्व संहिता 1959 ई0 ।

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है :-

अ) यह कि आराजी ख0क्र0 6 रकबा 0-29 ए0 , ख0क्र0 7 रकबा 0-22 ए0 कुल रकबा 0-51 ए0 स्थित ग्राम गोंदरी तहसील नईगढ़ी [illegible] भूमि पर आवेदक के पिता का वर्ष 2-10-59 से निरन्तर दखल रहित [illegible] काश्तकार की हैसियत से आज दिनांक तक आवेदक के पिता का कब्जा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5322–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 9/अ–12/स्व0निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश के द्वारा अप्र कलेक्टर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नाधीन भूमियां भूडा शासकीय अंकित है चूंकि आवेदक द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भमि पर भूमिस्वामी अध्किारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 के अन्तर्गत कार्यवाही म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जो स्वमेव निगरानी की परिधि मे नहीं है। इसी कारण अपर कलेक्टर ने आवेदक का आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	